न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 651/दो/06 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–02–06 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील रामनगर जिला सतना प्रकरण कमांक 397/03–04.

कालीचरण पुत्र श्री झगडू धाकड़
निवासी – ग्राम ररूवा–जीवन, तहसील – सेवढ़ा
जिला –दतिया ----- आवेदक

विरूद्ध

1– गुलाब सिंह
2– भगवान सिंह
पुत्रगण झगडू धाकड़
दोनों निवासी ग्राम ररूवा–जीवन, तेहसील
सेवढ़ा जिला– दतिया --- अनावेदकगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए.के. अग्रवाल ।

:: आदेश ::
(आज दिनांक 10-09-14 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 397/03–04. में पारित आदेश दिनांक 22–02–06 के विरूद्ध म.प्र. भू– राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हे कि नायब तहसीलदार थरेट द्वारा अपने प्रकरण कमांक 14/अ–27/02–03/ में पारित आदेश दिनांक 27–02–04 के द्वारा ग्राम ररूआ –जीवन की भूमि सर्वे क. किता–9 रकवा 7.79 है0 पर

उभयपक्ष के मध्य बटवारा आदेश पारित किया गया । इस आदेश के विरूद्ध गुलाब सिंह द्वारा अनु0वि0 अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार की जाकर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया एवं तहसील न्यायालय में प्रस्तुत फर्द बटवारा आपसी सहमति पर आधारित होने के कारण उसके आधार पर बटवारा आदेश पारित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जो उन्होंने आदेश दिनांक 22–2–06 द्वारा अस्वीकार की गई है । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई है ।

3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिये गये हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विधान के विपरीत है ।नायब तहसीलदार ने विधि अनुसार तथा संहिता के प्रावधानों के अनुसार सही बंटवारा किया था । उभयपक्ष आपस में सगे भाई हैं अनुविभागीय अधिकारी ने आराजी का सही मूल्यांकन नहीं किया है । उक्त आधार पर उनके द्वारा दोनों अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्त कर तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्टि किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4– अनावेदकगण प्रकरण में एकपक्षीय हैं ।

5– यह प्रकरण बटवारे का होकर बटवारा सूची के आधार पर जिस पर दोनों पक्षकारों के हस्ताक्षर थे आदेश दिया गया था । बटवारा सूची पर आपत्ति आने पर पुनः बटवारा सूची बनाने के आदेश पटवारी को दिये गये । पटवारी ने जो सूची प्रस्तुत की है उसमें ना तो पक्षकारों के सहमति स्वरूप हस्ताक्षर हैं और यह प्रतीत होता है कि यह सूची पक्षकारों की अनुपस्थिति में बनाई गई है और इसके प्रकाशन पर भी दूसरे पक्ष ने आपत्ति ली है । ऐसी स्थिति में पूर्व में सहमति के आधार पर जो बटवारा सूची बनाई गई थी और जिसके आधार पर आदेश पारित किया है उसको स्थिर नहीं रखा है । और बाद की सूची के अनुसार पारित किए गए आदेश को अपर आयुक्त ने अस्वीकार किया है । प्रकरण की परिस्थिति और तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त का आदेश विधिसम्मत उचित और न्यायिक

प्रतीत होता है उसमें ऐसी कोई सारवान या न्यायिक त्रुटि नहीं है, जिस कारण अपर आयुक्त के आदेश में हस्तक्षेप आवश्यक हो ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर